न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 81/2019

अनवान :

मनीष उपाध्याय पुत्र कालीचरण आयु 28 वर्ष जाति ब्राहमण वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. कालीचरण वल्द सागरमल कौम ब्राहमण साकिन वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. पुष्पा पुत्री कालीचरण जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 17 भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. एस.बी.आई. बैंक भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : वादी

वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : प्रतिवादीगण सं0 1 व 2

निर्णय **दिनांक : 10.06.2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 के. आर. पी. की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 21/109 के मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 18, 23, मुरब्बा नं0 42 के किला नं0 3, 8, 11/1, 12, 13, 18 ता 22 की कुल 2.9090 हैक्टेयर, जिसमें से नहरी 2.8840 हैक्टेयर, गै0 मु0 खाला 0.0250 हैक्टेयर है, जो वाद भूमि है।

उपर वर्णित कृषि भूमि जो वादी के पिता के नाम दर्ज है, उक्त कृषि भूमि वादी के पिता को वादी के दादा सागरमल से प्राप्त हुई है। इस प्रकार वाद भूमि पुस्तैनी पैत्रिक कृषि भूमि है, जिसमें वादी व प्रतिवादिया संख्या 2 का जन्म से हक–हिस्सा है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, कानूनन कुल वाद भूमि वादी व प्रतिवादिया संख्या 2 पुष्पा जन्म से ही प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादिया संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की सन्तान है। प्रतिवादिया संख्या 2 वादी की सगी बहन है, वाद भूमि के बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य मौखिक पारिवारिक बाहमी समझौता हो गया था, जिसके ताबें प्रतिवादिया संख्या 2 ने वाद भूमि में अपने पिता के जीवनकाल में मिलने वाला अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क कर उनको दे दिया था। इस प्रकार वादी वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार है, परन्तु वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जिसका नाजायज फायदा उठाने कि गर्ज से प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि को रहन बैय व मुंतकिल कर

10.6.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सकता है, इसलिऐ वादी यह घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है, कि कुल वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी मनीष उपाध्याय पुत्र कालीचरण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य चित्रप्रति जमाबन्दी चक 1केआरपी के खाता सं0 21/109 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, आंशिक नजरी नक्शा चक 1 के आर पी प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाऐ व चित्रप्रति पासबुक चक 1 केआरपी की पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि वादी के पिता को वादी के दादा सागरमल से प्राप्त हुई है। वाद भूमि पुस्तैनी पैत्रिक कृषि भूमि है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादिया संख्या 2 का जन्म से हक–हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादी ने चक 1 के आर पी के राजव रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि पैत्रक पुस्तैनी कृषि भूमि होने अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने चित्रप्रति पासबुक चक 1 केआरपी की पेश की है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा सागरमल वल्द गणपतराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि पैत्रक पुस्तैनी कृषि भूमि होना साबित है एवं सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में कालीचरण पुत्र सागरमल के वारिसान में एक पुत्र मनीष उपाध्याय व एक पुत्री पुष्पा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 के. आर. पी. के खाता संख्या 21/109 के मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 18, 23, मुरब्बा नं0 42 के किला नं0 3, 8, 11/1, 12, 13, 18 ता 22 की कुल 2.9090 हैक्टेयर, जिसमें से नहरी 2.8840 हैक्टेयर, गै0 मु0 खाला 0.0250 हैक्टेयर है0 प्रतिवादी सं0 1 कालीचरण वल्द सागरमल के नाम दर्ज है के अकेले प्रतिवादी सं0 1 कालीचरण के बजाय वादी मनीष कुमार व प्रतिवादी सं0 1 कालीचरण दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 2 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व वाद कृषि भूमि एसबीआई बैंक भादरा से रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा

10.06.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा, (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 81/2019

अनवान :

मनीष उपाध्याय पुत्र कालीचरण आयु 28 वर्ष जाति ब्राहमण वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. कालीचरण वल्द सागरमल कौम ब्राहमण साकिन वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. पुष्पा पुत्री कालीचरण जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 17 भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. एस.बी.आई. बैंक भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 श्री सुरेन्द्र बैनीलवा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 के. आर. पी. के खाता संख्या 21/109 के मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 18, 23, मुरब्बा नं0 42 के किला नं0 3, 8, 11/1, 12, 13, 18 ता 22 की कुल 2.9090 हैक्टेयर, जिसमें से नहरी 2.8840 हैक्टेयर, गै0 मु0 खाला 0.0250 हैक्टेयर है0 प्रतिवादी सं0 1 कालीचरण वल्द सागरमल के नाम दर्ज है के अकेले प्रतिवादी सं0 1 कालीचरण के बजाय वादी मनीष कुमार व प्रतिवादी सं0 1 कालीचरण दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 2 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व वाद कृषि भूमि एसबीआई बैंक भादरा से रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

10.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़